

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा धारणा के वर्तमान (2073-2076) खाता संख्या 559 व 560 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम श्याम लाल पुत्र पेमा राम के स्थान पर श्यामाराम पुत्र पेमा राम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।


प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा धारणा के खाता संख्या 559 व 560 के खसरा नम्बर 1149/64 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.1286 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा धारणा के खाता संख्या 559 व 560 के खसरा नम्बर 1149/64 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 2.1286 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम श्यामाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर श्याम लाल पुत्र पेमाराम दुरुस्त किया जाता है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। यह आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।




(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)